



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 174]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 23, 2011/भाद्र 1, 1933

No. 174]

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 23, 2011/BHADRA 1, 1933

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

अधिसूचना

मुंबई, 23 अगस्त, 2011

सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी एन/2011-12/20/26624.—भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड, ओटीसी एक्सचेंज ऑफ इण्डिया जिसका अपना रजिस्ट्रीकृत कार्यालय 92, मेकर टॉवर्स, "एफ", कफ परेड, मुंबई-400005 में स्थित है द्वारा प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अधीन किए गए मान्यता के नवीकरण के लिए आवेदन पर विचार करते हुए और यह समाधान हो जाने पर कि यह व्यापार के हित में होगा और ऐसा करना लोक हित में भी होगा, एतद्वारा, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 4 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त एक्सचेंज को मान्यता का नवीकरण उक्त अधिनियम की धारा 4 के अधीन 23 अगस्त, 2011 को प्रारंभ होने वाली और 22 अगस्त, 2012 को समाप्त होने वाली एक वर्ष की कालावधि के लिए प्रतिभूतियों में संविदाओं की बाबत शर्तों जो इसके पश्चात् विहित या अधिरोपित की जाएं के अध्याधीन प्रदान करता है :

- (i) एक्सचेंज प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों में सार्वजनिक शेयरधारण को बढ़ाने और बनाए रखने की रीति) विनियम, 2006 का पूर्ण अनुपालन करने के पश्चात् और भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) के तारीख 7 अक्टूबर, 2009 के परिपत्र सं. एमआरडी/डीएसए/एसई/सीआईआर-12/09 का अनुपालन करने के पश्चात् ही व्यापार प्रारम्भ कर सकता है।
- (ii) एक्सचेंज ऐसी अन्य शर्तों का अनुपालन करेगा जो भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा समय-समय पर विहित की जाएं।

प्रशांत सरन, पूर्णकालिक सदस्य

[विज्ञापन III/4/69 जेड बी/11/असा.]

**SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA
NOTIFICATION**

Mumbai, the 23rd August, 2011

No. LAD-NRO/GN/2011-12/20/26624.—The Securities and Exchange Board of India, having considered the application for renewal of recognition made under Section 3 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 by OTC Exchange of India having its registered office at 92, Maker Towers, "F", Cuffe Parade, Mumbai-400005 and being satisfied that it would be in the interest of the trade and also in the public interest so to do, hereby grants, in exercise of the powers conferred under Section 4 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956, renewal of recognition to the said Exchange under Section 4 of the said Act for a period of one year commencing on the 23rd day of August, 2011 and ending on 22nd day of August, 2012 in respect of contracts in securities subject to the conditions as may be prescribed or imposed hereafter :

- (i) The Exchange can commence trading only after full compliance with Securities Contracts (Regulation) (Manner of Increasing and Maintaining Public Shareholding in Recognised Stock Exchanges) Regulations, 2006 and after complying with Securities and Exchange Board of India's Circular No. MRD/DSA/SE/Cir-12/09 dated October 7, 2009.
- (ii) The Exchange shall comply with such other conditions as may be prescribed by SEBI from time to time.

PRASHANT SARAN, Whole time Member
[ADVT III/4/69ZB/11/Exty.]